मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी, 2024 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 13 फरवरी, 2024 (माघ 24, 1945)

समय 11.00 बजे दिन.

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) **श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर),** मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 166, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की धारा 70-क की उपधारा (2), हाई स्पीड डीजल उपकर अधिनियम, 2018 की धारा 15 की उपधारा (3), मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम, 2018 की धारा 15 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

1. क्रमांक एफ ए-3-42-2017-1-पांच-(22), दिनांक 27 जुलाई, 2023,
2. क्रमांक एफ ए 3-32/2017/1/पांच(23), दिनांक 27 जुलाई, 2023,
3. क्रमांक एफ ए 3-47-2017-1-पांच (24), दिनांक 27 जुलाई, 2023,
4. क्रमांक एफ ए 3-33/2017/1/पांच (25), दिनांक 27 जुलाई, 2023,
5. क्रमांक एफ ए-3-04/2019/1-पांच (26), दिनांक 27 जुलाई, 2023,
6. क्रमांक सीटी-8-0004-2023एसइसी-1-पांच (सीटी)(27), दिनांक 31 जुलाई, 2023,
7. क्रमांक एफ ए 3-93-2017-1-पांच (28), दिनांक 31 जुलाई, 2023,
8. क्रमांक सीटी-8-0001-2023-एसइसी-1-पांच(सीटी)(29),दिनांक 31 जुलाई, 2023,
9. क्रमांक सीटी-8-0002-2023-एसइसी-1-पांच (सीटी)(30),दिनांक 31 जुलाई, 2023,
10. क्रमांक सीटी-8-0003-2023एसइसी-1-पांच (सीटी)(31),दिनांक 31 जुलाई, 2023,
11. क्रमांक सीटी-3-0001-2023-एसइसी-1-पांच-(सीटी)(19),दिनांक 18 अगस्त, 2023,
12. क्रमांक सीटी-3-0002-2023-एसइसी-1-पांच-(सीटी)(21),दिनांक 18 अगस्त, 2023,
13. क्रमांक सीटी-8-0007-2023-एसइसी-1-पांच-(सीटी)(32),दिनांक 18 अगस्त, 2023,
14. क्रमांक सीटी/8/0008/2023-एसइसी-1-05-(सीटी)(33),दिनांक 18 अगस्त, 2023,
15. क्रमांक सीटी/4/2/0001/2023-एसइसी-1-05-(सीटी)(38),दिनांक 29 अगस्त, 2023,
16. क्रमांक सीटी/8/0009/2023-एसइसी-1-05-(सीटी)(34),दिनांक 1 सितम्बर, 2023,
17. क्रमांक सीटी-8-0010-2023-एसइसी-1-पांच (सीटी)(35),दिनांक 1 सितम्बर, 2023,
18. क्रमांक सीटी-8-0011-2023-एसइसी-1-पांच (सीटी)(36),दिनांक 1 सितम्बर, 2023,
19. क्रमांक सीटी-8-0012-2023-एसइसी-1-पांच (सीटी)(37),दिनांक 1 सितम्बर, 2023,
20. क्रमांक सीटी-8-0013-2023-एसइसी-1-पांच(सीटी)(39),दिनांक 6 सितम्बर, 2023,
21. क्रमांक सीटी/8/0014/2023-एसइसी-1-05(सीटी)(40),दिनांक 6 सितम्बर, 2023,
22. क्रमांक सीटी/8/0016/2023-एसइसी-1-05(सीटी)(41),दिनांक 20 सितम्बर, 2023,
23. क्रमांक एफ ए 3-02/2017/1/पांच (42), दिनांक 27 सितम्बर, 2023,
24. क्रमांक सीटी-8-0017-2023-एसइसी-1-पांच (सीटी)(43),दिनांक 6 अक्टूबर, 2023,
25. क्रमांक सीटी-8-0018-2023-एसइसी-1-पांच (सीटी)(44),दिनांक 6 अक्टूबर, 2023,
26. क्रमांक एफ ए-3-68-2017-1-पांच (45), दिनांक 06 अक्टूबर, 2023,
27. क्रमांक सीटी/8/0020/2023-एसइसी-1-05(सीटी)(46),दिनांक 6 अक्टूबर, 2023,
28. क्रमांक एफ ए-3-33-2017/1/पांच (47), दिनांक 06 अक्टूबर, 2023,
29. क्रमांक एफ ए 3-32/2017/1/पांच(48), दिनांक 04 दिसम्बर, 2023,
30. क्रमांक एफ ए-3-42/2017/1/पांच/(49), दिनांक 04 दिसमबर, 2023,
31. क्रमांक एफ ए-3-47/2017/1/पांच/(50), दिनांक 04 दिसम्बर, 2023,
32. क्रमांक एफ ए-3-30/2017/1/पांच(51), दिनांक 04 दिसम्बर, 2023,
33. क्रमांक एफ ए-3-43/2017/1/पांच(52), दिनांक 04 दिसम्बर, 2023,
34. क्रमांक एफ ए-3-33/2017/1/पांच (53), दिनांक 04 दिसम्बर, 2023,
35. क्रमांक एफ ए 3-35/2017/1/पांच (54), दिनांक 04 दिसम्बर, 2023,
36. क्रमांक एफ ए-3-37/2017/1/पांच (55), दिनांक 04 दिसम्बर, 2023,
37. क्रमांक एफ ए 3-36/2017/1/पांच (56), दिनांक 04 दिसम्बर, 2023,
38. क्रमांक सीटी/8/0022/2023/एसइसी-1-05(सीटी)(57),दिनांक 8 दिसम्बर, 2023,

39. क्रमांक सीटी/8/2021/2023-एसइसी-1-05(सीटी)(58),दिनांक 15 दिसंबर, 2023, एवं
40. क्रमांक सीटी-4-0002-2022-एसइसी-1-पांच(सीटी)(59),दिनांक 29 दिसंबर, 2023,

पटल पर रखेंगे.

(2) **श्री उदय प्रताप सिंह, परिवहन मंत्री,** मध्यप्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 212 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश परिवहन विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(1) अधिसूचना क्रमांक एफ 22-05/2022/आठ, दिनांक 28.12.2022,
(2) अधिसूचना क्रमांक एफ 22-09/2019/आठ, दिनांक 27.12.2022,
(3) अधिसूचना क्रमांक एफ 22-02/2019/आठ, दिनांक 22.12.2022,
(4) अधिसूचना क्रमांक एफ 22-07/2022/आठ, दिनांक 25.01.2023,
(5) अधिसूचना क्रमांक 3-3-4-001-2022-एसइसी-1-आठ, दिनांक 25.01.2023,
(6) अधिसूचना क्रमांक 972-1065774-2023-आठ, दिनांक 22.02.2023,
(7) अधिसूचना क्रमांक एफ 22-71/2021/आठ, दिनांक 06.03.2023,
(8) अधिसूचना क्रमांक 2078/1145217/2023/आठ, दिनांक 07.03.2023,
(9) अधिसूचना क्रमांक एफ 22-71/2021/आठ, दिनांक 08.05.2023,
(10) अधिसूचना क्रमांक 3004/949664/2022/आठ, दिनांक 14.06.2023,
(11)अधिसूचना क्रमांक 4081/1353603/2023/आठ,दिनांक 27.06.2023,एवं
(12) अधिसूचना क्रमांक एफ 22-17/2022/आठ, दिनांक 05.10.2023

पटल पर रखेंगे.

(3) **श्री एदल सिंह कंषाना, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री,** राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2020-2021 पटल पर रखेंगे.

(4) **श्री नागर सिंह चौहान, वन मंत्री,** प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (क्रमांक 38 सन् 2016) की धारा 29 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 पटल पर रखेंगे.

(5) **श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री,** विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना क्रमांक 1846-मप्रविनिआ-2023, दिनांक 17 अगस्त, 2023 पटल पर रखेंगे.

(6) **श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री, -**

(क) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार -

(i) राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023,

(ii) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) का 55 वां वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023, एवं

(iii) महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 (01 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक), तथा

(ख) मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023,

पटल पर रखेंगे.

(7) **श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी, राज्यमंत्री पर्यटन,** कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का 40 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 पटल पर रखेंगे.

(8) **श्री दिलीप जायसवाल, राज्यमंत्री कुटीर एवं ग्रामोद्योग,** कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार संत रविदास म.प्र.हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का 39 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए पटल पर रखेंगे.

(9) **श्री लखन पटैल, राज्यमंत्री पशुपालन एवं डेयरी,** मध्यप्रदेश पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 38 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) के वार्षिक लेखे वर्ष 2021-2022 एवं 2022-2023 पटल पर रखेंगे.

(10) **श्री दिलीप सिंह अहिरवार, राज्यमंत्री वन, -**

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड (मॉयल) की 61 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2022-2023,

(ख) मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के नियम 18 (3) की अपेक्षानुसार जिला खनिज प्रतिष्ठान, जिला सिंगरौली, दमोह एवं नीमच के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023, तथा

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 59 वां वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2021-2022

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) **श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार, सदस्य,** सतना जिले के चित्रकूट क्षेत्र में बाणसागर नहर सिंचाई योजना का लाभ कृषकों को न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) **श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य,** रीवा जिले सहित पंचायत जनप्रतिनिधियों के मानदेय न बढ़ाये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. आवेदनों (याचिकाओं) की प्रस्तुति.

(1) **श्री फूलसिंह बरैया, सदस्य,** दतिया जिले के ग्राम तगा व नरेटा के बीच अंगूरी नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,

(2) **श्री मथुरालाल डामर, सदस्य,** रतलाम जिले के ग्राम मलवासा, बाजनखेड़ा बांगरोड एवं जडवासा कला के मध्य विद्युत ग्रिड लगवाये जाने,

(3) **श्री केशव देसाई, सदस्य,** भिण्ड जिले के ग्राम रसनौल में मैराम बाबाजी मंदिर का जीर्णोद्धार कराये जाने,

(4) **डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य,** ग्वालियर जिले के वार्ड क्रं-28 की 60 फीट रोड पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराये जाने,

(5) **श्रीमती सेना महेश पटेल,** सदस्य, अलीराजपुर जिले के ग्राम दुदलवार में हथनी नदी पर पुलिया सह स्टाप डेम का निर्माण कराये जाने,

(6) **श्री हेमंत सत्यदेव कटारे,** सदस्य, भिण्ड जिले के अटेर अंतर्गत ग्राम पंचायत मुडियाखेड़ा के क्षतिग्रस्त गोदाम भवन का पुनर्निर्माण कराये जाने,

(7) **श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य,** दतिया जिले के इन्दरगढ़ नगर में बायपास रोड का निर्माण कराये जाने,

(8) **श्री रामनिवास रावत, सदस्य,** श्योपुर जिले के वि.ख. विजयपुर अंतर्गत संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कामर्स संकाय का प्रारंभ कराये जाने,

(9) **श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य,** कटनी जिले के विजयराघवगढ़ ग्राम बिचपुरा से जाजागढ़ तक पहुंच मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(10) **श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य,** मण्डला जिले की ग्राम पंचायत ईमलीटोला ईश्वरपुर से रूसा मुख्य मार्ग तक एवं अन्य ग्रामों में ग्रेवल सड़क का निर्माण कराये जाने,

(11) **श्री श्रीकांत चतुर्वेदी, सदस्य,** मैहर जिले के ग्राम तिन्दुहटा वार्ड नं.-04 से पगडंडी के रूप में प्रचलित ग्राम जुरा तक पहुंच मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(12) **श्री नितेन्द्र बिजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य,** निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर अंतर्गत ग्राम खर्रोई से वैदऊ तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(13) **श्री विवेक विक्की पटेल, सदस्य,** बालाघाट जिले की ग्राम पंचायत नाद गांव अंतर्गत डोकरिया जलाशय का निर्माण कराये जाने,

(14) **श्री मधु भाऊ भगत, सदस्य,** बालाघाट जिले के ग्राम हट्टा में नवीन आई.टी.आई. प्रारंभ कराये जाने,

(15) **श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य,** शिवपुरी जिले के लोढ़ी माता मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु रोपवे लगाये जाने,

(16) **श्री भैरोसिंह बापू, सदस्य,** आगर-मालवा जिले के ग्राम मगरीया से लोधाखेड़ी मार्ग के मध्य नदी पर पुलिया एवं रपटा निर्माण कराये जाने,

(17) **श्री साहब सिंह गुर्जर, सदस्य,** ग्वालियर जिले के वार्ड क्र. 61 बेला की बावड़ी में निवास कर रहे लोहापीटा समुदाय को शासन की योजना का लाभ दिलाये जाने,

(18) **डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य,** धार जिले के मनावर अंतर्गत ग्राम पंचायतों के लिये नर्मदा नदी से नहर की व्यवस्था कराये जाने,

(19) **श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य,** टीकमगढ़ जिले के सिद्ध हनुमान मंदिर की 10 एकड़ भूमि बीच शहर में स्थित है जिसका विक्रय प्रतिबंधित कराये जाने,

(20) **श्री प्रहलाद लोधी, सदस्य,** पन्ना जिले के गोहत अंतर्गत ग्राम पंचायत मुड़वारी में नदी का घाट निर्माण कराये जाने,

(21) **डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य,** रतलाम जिले के ग्राम मचून में डेम निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने,

(22) **श्री केदार चिड़ाभाई डावर, सदस्य,** खरगोन जिले के ग्राम श्रीखण्डी ब्लाक सेगांव एवं गढ़ी ब्लाक भगवानपुरा में हाई स्कूल खोलने,

(23) **श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य,** अनूपपुर जिले के ग्राम कपरिया गोढाटोला में रपटा निर्माण कराये जाने,

(24) **श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य,** धार जिले के सरदारपुर अंतर्गत चुनार डेम से 31 ग्रामों में समूह पेयजल योजना की स्वीकृति प्रदान करने,

(25) **श्री रजनीश हरवंश सिंह, सदस्य,** सिवनी जिले के रतनपुर और चिरई डोंगरी के मध्य पुलिया निर्माण एवं झोला से चिरई डोंगरी के मध्य सुदूर सड़क का निर्माण कराये जाने,

(26) **श्रीमती अनुभा मुंजारे, सदस्य,** बालाघाट जिले के लालबर्रा स्थित कौरवगढ़ पहाड़ी बोब्लाई देवी प्राचीन स्थल का सौन्दर्यीकरण कराये जाने,

(27) **श्री कमलेश्वर डोडियार, सदस्य,** रतलाम जिले के ग्राम घुघड व भेरूगढ़ रेल्वे स्टेशन के मध्य माही नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,

(28) **श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य,** सिवनी जिले की ग्राम पंचायत खैरी से सिमरिया तक मार्ग निर्माण कराये जाने,

(29) **श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य,** टीकमगढ़ जिले के ग्राम पचेर में पुलिस चौकी स्थापित कराये जाने,

(30) **श्री राजन मण्डलोई, सदस्य,** बड़वानी जिले के ग्राम सागबारा से मतमाल फल्या तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(31) **श्री अभय मिश्रा, सदस्य,** रीवा जिले के ग्राम मनकहरी के शासकीय हाई स्कूल का हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(32) **सुश्री रामश्री राजपूत, सदस्य,** छतरपुर जिले के ग्राम माखनखेड़ा की शासकीय माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(33) **श्री बाला बच्चन, सदस्य,** बड़वानी जिले के ग्राम पंचायत नांदेड़ काबड़पुरा से लफनगांव पटेलपुरा तक मार्ग निर्माण कराये जाने,

(34) **श्री मोन्टू सोलंकी, सदस्य,** बड़वानी जिले के ग्राम खुरमाबाद मेन रोड से महानीम तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(35) **श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य,** छिन्दवाड़ा जिले के परासिया अंतर्गत पुरा से पुरा ढाना तक मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(36) **श्री प्रणय प्रभात पांडे, सदस्य,** कटनी जिले के भखरवारा से पिपरिया (पोंडी) तक पक्का मार्ग निर्माण कराये जाने,

(37) **श्री विपिन जैन, सदस्य,** मंदसौर जिले के गुराड़िया लालमुंहा से पटेला मार्ग सोमली नदी पर पुलिया निर्माण कराये जाने,

(38) **श्री माधव सिंह (मधु गेहलोत), सदस्य,** भोपाल शहर के कटारा हिल्स हाऊसिंग बोर्ड कालोनी सीनियर आवास क्रं-324 से 331 तक के सामने बने सीवेज टैंक मरम्मत एवं पार्क का सौन्दर्यीकरण तथा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने,

(39) **इंजीनियर श्री गोपाल सिंह, सदस्य,** सीहोर जिले के आष्टा अंतर्गत ग्राम लोरासकलां से चक्की जोड़ तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(40) **श्री अमरसिंह यादव, सदस्य,** राजगढ़ जिले के नगर खुजनेर में शासकीय महाविद्यालय स्वीकृत किये जाने,

(41) **डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य,** हरदा जिले के मानपुरा पंप इंजन रोड पर स्थित टिमरन नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,

(42) **डॉ. अभिलाष पाण्डेय, सदस्य,** जबलपुर शहर के माढ़ोताल का सौन्दर्यीकरण व उन्नयन कर वॉटर स्पोर्ट गतिविधियां प्रारंभ कराये जाने,

के संबंध में आवेदन (याचिका) प्रस्तुत करेंगे.

5. शासकीय संकल्प.

श्री नागर सिंह चौहान, पर्यावरण मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में संशोधन करने के संबंध में संकल्प प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

6. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) श्री गौतम टेटवाल, राज्यमंत्री, प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 8 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

30 मि. **(3) श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री (चिकित्सा शिक्षा),** प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 1 सन् 2024) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(4) श्री गौतम टेटवाल, राज्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. **(5) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर)**, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 3 सन् 2024) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(6) श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 8 सन् 2024) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

7. वर्ष 2013-2014 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे-

15 मि. "दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 02 एवं 21 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त आधिक्य व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को अठारह करोड़, अठारह लाख, चालीस हजार रुपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय."

8. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2024 (क्रमांक 5 सन् 2024) का *पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

9. वर्ष 2016-2017 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे-

15 मि. "दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 02 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त आधिक्य व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को तेईस करोड़, सतहत्तर लाख, एक सौ अठासी रुपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय."

10. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2024 (क्रमांक 6 सन् 2024) का **पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

---

* **आधिक्य व्यय की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरंत पश्चात्.**

** **आधिक्य व्यय की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरंत पश्चात्.**

निर्धारित समय

4 घण्टे

11. वर्ष 2024-2025 के वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा.

12. वर्ष 2024-2025 के लेखानुदान की मांगों पर मतदान.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

"दिनांक 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष 2024-2025 के एक भाग अर्थात् प्रथम चार माह तक की अवधि के प्राक्कलित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को राज्य की संचित निधि में से कुल एक लाख उन्नीस हजार चार सौ तिरेपन करोड़, चार लाख, सतहत्तर हजार रुपये की धनराशि जो पृथकत: वितरित लेखानुदान की मांगों के स्तम्भ 6 में दी गई राशियां विनियोगों की अनुसूची के स्तम्भ 2 में निर्दिष्ट सेवाओं से संबंधित मांगों के लिये सम्मिलित है, लेखानुदान के रूप में दी जाएं."

13. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2024 (क्रमांक 7 सन् 2024) का *पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 12 फरवरी, 2024

*** लेखानुदान संबंधी मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरंत पश्चात्.**